

अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 19 जून, 2020 को जारी किया गया। अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट, 2004 में संशोधन करता है। एक्ट में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करने के वार्षिक लक्ष्यों का प्रावधान है।
- राजकोषीय घाटे के लक्ष्य:** एक्ट में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर राज्य एक निर्दिष्ट सीमा तक अपने ऋण और ब्याज भुगतान को नियंत्रित रख सकता है, तो इस सीमा में अधिकतम 3.5% की ढिलाई दी जा सकती है। अध्यादेश इस एक्ट में संशोधन करता है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को जीएसडीपी के 3% की बजाय 5% करता है।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।